संख्या-49/2019/237/71-3-2019-एन0एम0-03/2019टीसी-3

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 09 मार्च, 2019

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय हेतु चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-1/2019/475, दिनांक 08-02-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय में एम0सी0आई0 मानकानुसार चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के 89 पदों (संलग्नक-1), को अस्थायी रूप से दिनांक 29-02-2020 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाए, को निम्नांकित शर्तों के अधीन सृजित किए जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त पदों पर भर्ती एम0सी0आई0 गाइड लाइन्स तथा अन्य अपेक्षित मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप की जाए।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन जिला चिकित्सालय, बहराइच हेतु सृजित चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के 89 पदों (संलग्नक-2) को समयबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने की कार्यवाही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी।
3. जिला चिकित्सालय, बहराइच में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मियों को मेडिकल कालेज हेतु सृजित होने वाले समान वेतनमान के पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनाती प्रतिनियुक्ति विषयक नियमों के अनुसार की जायेगी।
4. पदों के पदनाम, वेतनमान आदि का निर्धारण राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रश्नगत पदों के पदनाम, वेतनमान आदि के सम्बन्ध में, जो व्यवस्था दी गयी है, के अनुसार अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के आधार पर ही रखा जाए।
5. जिन पदों के साथ Dying Cader उल्लिखित है, उनके लिए उतने ही पदों को सृजित करने पर सहमति दी गयी है, जितने पद जिला चिकित्सालय में भरे है। अतः यह पद कार्मिकों की सेवानिवृत्ति/सेवा स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के उपरांत स्वतः समाप्त (Dying Cader) मान लिये जायेंगे। इन पदों पर उन्हीं कर्मियों को तैनात किया जायेगा, जो पूर्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तैनात थे एवं प्रतिनियुक्ति /सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज में आ रहे है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)-0384-मेडिकल कालेज, बहराइच " के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-365/दस-2019, दिनॉक 09 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-49/2019/237(1)/71-3-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बहराइच।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. नियोजन-अनुभाग-4
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-49/2019/237(1)/71-3-2019-एन0एम0-03/2019टीसी-3, दिनांक 09 मार्च, 2019 का संलग्नक-।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय हेतु चतुर्थ श्रेणी के पदों का विवरण।

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	वार्ड ब्वॉय	30
2	वार्ड आया	10
3	लैब अटेण्डेन्ट	08
4	इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर ऑपरेटर	02
5	प्लम्बर	01
6	कुक/भण्डारी/भण्डारिन/ रसोइया	10
7	धोबी (Dying cader)	01
8	माली (Dying cader)	02
9	कहार (Dying cader)	02
10	भिस्ती (Dying cader)	02
11	चपरासी/अर्दली/हॉस्पिटल वर्कर (Dying cader)	02
12	गॉर्ड/चौकीदार (Dying cader)	04
13	स्वीपर/स्वीप्रेस (Dying cader)	15
	कुल	89

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-49/2019/237(1)/71-3-2019-एन0एम0-03/2019टीसी-3, दिनांक 09 मार्च, 2019 का संलग्नक-2

जिला चिकित्सालय, बहराइच में सृजित चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समाप्त/समर्पित किये जाने वाले 89 पदों का विवरण।

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	वार्ड ब्वॉय	22
2	वार्ड आया	12
3	इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर ऑपरेटर	02
4	टेलर	01
5	कुक/भण्डारी/भण्डारिन/रसोइया	05
6	धोबी	03
7	माली	03
8	कहार	05
9	भिस्ती	02
10	चपरासी/अर्दली/हॉस्पिटल वर्कर	02
11	गार्ड/चौकीदार	06
12	स्वीपर/स्वीप्रेस	23
13	जनेरटर ऑपरेटर	02
14	वेयरर	01
	कुल	**89**

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।